वित्त वर्ष **2023-24** में नरेगा के लिए अत्यधिक अपर्याप्त बजट आवंटन

नरेगा संघर्ष मोर्चा (एनएसएम) और पीपुल्स एक्शन फॉर एम्प्लॉयमेंट गारंटी (पीएईजी) द्वारा बजट के बाद का वक्तव्य

वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में घोषित नरेगा के लिए आवंटन एक उपहास है और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत लोगों के काम करने के अधिकार पर हमला है। नरेगा एक मांग आधारित कानून है और काम की मांग को पूरा किया जाना चाहिए। अभूतपूर्व बजट कटौती से (ए) वेतन भुगतान में भारी देरी होगी, (बी) काम की मांग में कमी आएगी, और (सी) गुणवत्तापूर्ण संपत्ति का निर्माण नहीं होगा। कार्यक्रम को पर्याप्त रूप से वित्त पोषित करने के बजाय, केंद्र सरकार ने बार-बार अनावश्यक तकनीकी छेड़छाड़ का सहारा लिया है। मज़दूरों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली (NMMS) एप्लिकेशन, जो चालू वित्त वर्ष में अनिवार्य है, एक ऐसा ही मज़दूर विरोधी हस्तक्षेप है।

पीरियाडिक लेबर फ़ोर्स सर्वेक्षण (PLFS) 2020-21 के अनुसार, भारत में कुल ग्रामीण बेरोजगारी 6.48% है। विश्व बैंक[1] के आंकड़ों के अनुसार, भारत में महिलाओं की लेबर फ़ोर्स की भागीदारी में गिरावट आई है और 2021 में पांच में से चार महिलाएं लेबर फ़ोर्स में नहीं थीं। ग्रामीण मजदूरी में ठहराव एक अन्य प्रमुख चिंता का विषय है। 2014 और 2021 के बीच, वास्तविक ग्रामीण मजदूरी में वृद्धि केवल 29 रुपये[2] की वृद्धि के साथ स्थगित रही है। ये आँकड़े स्पष्ट रूप से बेरोजगारों, विशेष रूप से अनौपचारिक क्षेत्र के सामने संकट का संकेत देते हैं। रोजगार के निम्न स्तर और कम मजदूरी भी कम खपत की ओर ले जाती है जो बदले में नीचे से ऊपर की कुल मांग को कम करके आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है।

अपनी क्षमता से आधी क्षमता पर काम चलने के बावजूद (पिछले 5 वर्षों में प्रति घर काम किए गए दिनों की औसत संख्या केवल 40 और 50 दिनों के बीच रही है[3]), इसके दूरगामी प्रभाव हुए हैं। हाल के एक अध्ययन[4] से पता चला है कि बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में 20-60% परिवारों ने महसूस किया कि नरेगा ने गाँव के समग्र विकास में योगदान दिया और पलायन न करने में योगदान, कार्यक्रम के सकारात्मक पहलू के रूप में उल्लेख किया गया। नरेगा के लिए सबसे जोरदार जनमत संग्रह के रूप में, सर्वेक्षण किए गए ब्लॉकों में 10 में से 8 से अधिक जॉब कार्ड धारकों ने कहा कि वे चाहते हैं कि नरेगा में 100 दिनों के घरेलू अधिकार के बजाय 100 दिनों के व्यक्तिगत अधिकार हों। नरेगा ने विशेष रूप से महामारी और उसके बाद के लॉकडाउन के दौरान स्पष्ट रूप से इस संदर्भ में अपनी प्रासंगिकता दिखाई है। शोध[5] से यह भी पता चला है कि नरेगा के तहत बनाई गई संपत्ति स्थानीय समुदाय और भूगोल के लिए पारिस्थितिक रूप से फायदेमंद हो सकती है। महामारी सहित पिछले दशक के दौरान, नरेगा में महिलाओं के श्रम दिवस कुल सृजित श्रम दिवसों के आधे से अधिक बने रहे है । वित्त वर्ष **2022-23** में भी कुल श्रम दिवसों में महिलाओं का योगदान **57%** देखा गया[6], जो अब तक का सबसे अधिक है। पिछले दो वर्षों में किए गए अस्थायी लाभ पर निर्माण करने के बजाय, केंद्र सरकार ने कल घोषित बजट कटौती के माध्यम से 10.02 करोड़ सक्रिय श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा को पहले की तुलना में अधिक अनिश्चित बना दिया है।

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजटीय आवंटन को घटाकर 60,00 करोड़ रुपये कर दिया गया है, चालू वित्त वर्ष के लिए संशोधित अनुमान 89,400 करोड़ रुपये होने के बावजूद। अपने प्री-बजट नोट में हमने सुझाव किया था कि चालू वित्त वर्ष में काम करने वाले कम से कम सभी लोगों को कानूनी रूप से **100** दिनों के काम की गारंटी देने के लिए **2.72** लाख करोड़ रुपये की जरूरत होगी। यह सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1% है और वास्तव में यह एक रूढ़िवादी अनुमान है जो

---

[1] https://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.TOTL.FE.ZS?locations=IN

[2] https://www.im4change.org/news-alerts-57/real-wage-rates-of-the-rural-workers-hardly-increased-during-the-past-6-years.html

[3] http://mnregaweb4.nic.in/netnrega/all_lvl_details_dashboard_new.aspx

[4] Azim Premji University, NREGA Consortium and Collaborative Research and Dissemination, 'Employment guarantee during Covid-19: Role of MGNREGA in the year after the 2020 lockdown', (2022)

[5] Desai, Vashishtha, and Joshi 2015

[6] Source: NREGA MIS 'At a Glance', accessed 2 February, 2023.

अनुमानित न्यूनतम मजदूरी दर पर इस वर्ष[7] नियोजित परिवारों पर विचार करता है। चित्र 1 वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में नरेगा आवंटन को दर्शाता है। विश्व बैंक के अर्थशास्त्रियों[8] ने सिफारिश की कि सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 1.7 प्रतिशत कार्यक्रम के लिए आवंटित किया जाना चाहिए। इसके विपरीत, जीडीपी[9] के प्रतिशत के रूप में वित्त वर्ष **2023-24** के लिए आवंटन लगभग **0.198%** है जो नरेगा के इतिहास में अब तक का सबसे कम है।

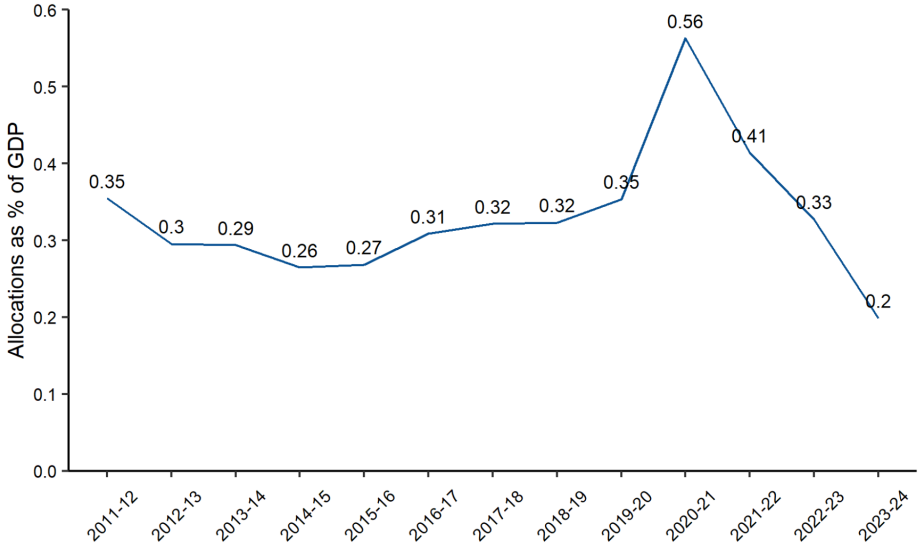

अभी तक 5.7 करोड़ घरों के 8.1 करोड़ मज़दूरों ने केंद्र से धन जारी करने में देरी के कारण कार्यान्वयन में लगातार रुकावटों के बावजूद इस वित्त वर्ष में नरेगा में काम किया है। वित्त वर्ष 23-24 के लिए बजट अनुमान और भी कम है अगर बकाया राशि घटा दिया जाए। अनुमानित चित्र 1 को ध्यान में रखते हुए: सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में नरेगा बजट आवंटन इस चालू वर्ष की लंबित देनदारियां, केवल रु**50,600** करोड़ रुपए खर्च के लिए बचे रहेंगे। नतीजतन, वित्तीय वर्ष **23-24** के लिए प्रति सक्रिय परिवार केवल **16.64** दिनों का काम कर पाएंगे। यदि हम सभी **16** करोड़ पंजीकृत घरों पर विचार करें, तो दिन और घटकर केवल **10** दिन रह जाएंगे। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक सहित अन्य राजनीतिक नेता भी बजट में कटौती से निराश हैं। मोदी सरकार द्वारा यह अन्यायपूर्ण आवंटन ग्रामीण मज़दूरों के अधिकारों पर हमला है और कार्यक्रम को खत्म करने की दिशा में एक कदम है। पीएमएवाई और जल जीवन मिशन के बजटीय परिव्यय में वृद्धि के सापेक्ष नरेगा के बजट आवंटन में कटौती को भी मान्यता दी जानी चाहिए। यह मज़दूरों को सशक्त बनाने वाले कानूनों को कमजोर करने और इसके बजाय नागरिकों को वार्षिक आवंटन और लक्ष्यों की दया पर छोड़ने वाली योजनाओं को बढ़ावा देने के सरकार के इरादे का शिक्षाप्रद है।

नरेगा संघर्ष मोर्चा और पीपुल्स एक्शन फॉर एम्प्लॉयमेंट गारंटी नरेगा के लिए इस घोर अपर्याप्त आवंटन पर गहरी निराशा व्यक्त करते हैं। वर्तमान शासन विलंबित वेतन भुगतान, अत्यधिक डिजिटलीकरण और कार्यक्रम के केंद्रीकरण के साथ-साथ बिना किसी कार्यकर्ता-परामर्श के पेश किए गए परिवर्तनों के रूप में मज़दूरों के अधिकारों को कम करना जारी रखता है। इसके जवाब में, देश भर के नरेगा मजदूरों ने बजट में कटौती के विरोध में नरेगा दिवस (2 फरवरी) को सड़क पर उतर कर रोष जताया। अधिनियम को व्यवस्थित रूप से कमजोर करने का अंत करने के लिए और केंद्र सरकार की मज़दूरों के अधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता की कमी को उजागर करने के लिए नरेगा संघर्ष मोर्चा के बैनर तले देश भर के सैकड़ों नरेगा मज़दूर और उनके समर्थक 6 फरवरी से 100 दिनों के लिए विरोध में दिल्ली में इकट्ठा होंगे।

अधिक जानकारी के लिए:

अपूर्वा गुप्ता (93137 59050), लावण्या तमांग (99107 46743), राजेंद्रन नारायणन (96203 18492), देबमाल्या नंदी (72941 84845), रक्षिता स्वामी (98188 38588), अनुराधा तलवार (94330 02064)

nrega.sangharsh.morcha@gmail.com paeg.india@gmail.com

[7] A mere 56.56% of the total active job cards as on January 24, 2023

[8] Rinku Murgai and Martin Ravallion, 'Employment Guarantee in Rural India: What Would It Cost and How Much Would It Reduce Poverty?'. Economic and Political Weekly 40, no. 31 (2005), pp. 3450–55.

[9] The nominal GDP for BE 2023-24 has been projected at 3,01,75,065 crores